झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

आपराधिक विविध याचिका संख्या 2309/2022

मुरारीलाल अग्रवाल@ मुरारीलाल अग्रवाल, आयु लगभग 52 वर्ष, पिता- स्वर्गीय नंदलाल अग्रवाल, निवासी- गोविंद मार्ग, खरंगझार के निवासी, डाकघर और थाना- टेल्को, टाउन-जमशेदपुर, जिला- पूर्व सिंहभूम।

. ..याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य

2. समीर नंद ठाकुर, पिता- स्वर्गीय बादल नंद ठाकुर, निवासी- गदर, टाउन-जमशेदपुर, डाकघर और थाना- परसुडीह, जिला-पूर्वी सिंहभूम।

....विपक्षीगण

याचिकाकर्ता के लिए :श्री पी. एस. बजाज, अधिवक्ता
:श्री विकास कुमार, अधिवक्ता
राज्य के अधिवक्ताः :श्री मनोज कुमार मिश्रा, अतिरिक्त लोक अभियोजक।
विपक्षी संख्या 2 के लिए : श्री जे. एन. उपाध्याय, अधिवक्ता

उपस्थित

न्यायमूर्ति, अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वाराः - दोनों पक्षों को सुना।

2. यह आपराधिक विविध याचिका धारा 482 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए दायर की गई है। 2022 के विरोध-सह-शिकायत मामले संख्या 241/2022 के संबंध में पारित दिनांक 30.05.2022 के आदेश सहित पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के अनुरोध के साथ और जहां और जहां विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420,406,323,341,504,506,379/34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए प्रथम दृष्टया मामला पाया गया और उक्त अपराधों का संज्ञान लिया और शिकायतकर्ता द्वारा अनुरोध दायर करने पर समन जारी करने का भी निर्देश दिया है और अब मामला विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर की अदालत में लंबित है।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता ने, सह-अभियुक्त व्यक्ति, जो उसका भतीजा है, के साथ सामान्य इरादे को आगे बढ़ाते हुए, शिकायतकर्ता को प्रेरित किया है और धोखाधड़ी के माध्यम से, शिकायतकर्ता के खिलाफ सह-अभियुक्त द्वारा स्थापित मामले में अदालत से अनुकूल निर्णय प्राप्त करने के लिए सह-अभियुक्त को रूपये 1,60,000/- का भुगतान करने के लिए कहा है और उसके बाद एक समझौता तैयार किया गया था। सह-आरोपी ने रूपये 1,60,000/- का चेक जारी किया, लेकिन 'लाख' की वर्तनी 'एक लाख' के रूप में उल्लिखित थी, इसलिए, उक्त चेक का अनादर किया गया था। यह आरोप लगाया गया है कि 10.06.2022 को सह-आरोपी, शिकायतकर्ता को अपने घर ले गया और याचिकाकर्ता ने स्वेच्छा से उसे चोट पहुंचाई और उसे गलत तरीके से रोक दिया और याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता से रूपये 12,000/- की चोरी की। शिकायत मामले संख्या 1837/2021 के आधार पर दंड प्रक्रिया सहिंता की धारा 156 (3) के तहत टेल्को  थाना को अग्रेषित किया जा रहा है, टेल्को  थाना ने  2021 में  का मामला संख्या 141 दर्ज किया गया और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। जाँच पूरा होने के बाद, पुलिस ने यह उल्लेख करते हुए अंतिम प्रपत्र प्रस्तुत किया कि पक्षों के बीच विवाद एक नागरिक विवाद है और उसने याचिकाकर्ता और सह-अभियुक्त को मुकदमे के लिए नहीं भेजा। अंतिम प्रपत्र प्रस्तुत करने पर, शिकायतकर्ता द्वारा विरोध-सह-शिकायत मामला संख्या 241/2022 दायर किया गया था और गंभीर पुष्टि पर अपने बयान में, शिकायतकर्ता ने अपने मामले का समर्थन किया है और एक जांच गवाह की भी जांच की गई थी, जिसने अभियोजन पक्ष के मामले का भी समर्थन किया था और उसी के आधार पर, विद्वान न्यायिक

मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर ने कहा कि मामले में आगे बढ़ने के लिए रिकॉर्ड में पर्याप्त सामग्री है क्योंकि प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है और पहले से ही सम्मन जारी करने के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ समन जारी करने का आदेश दिया गया है।

4. याचिकाकर्ता का विद्वान वकील प्रस्तुत करता है कि याचिकाकर्ता निर्दोष है और उसने कोई अपराध नहीं किया है और उसे इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है; जिसे पुलिस द्वारा अंतिम प्रपत्र दाखिल करने के माध्यम से अनुमोदित किया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि मामला नागरिक प्रकृति का है। याचिकाकर्ता का आरोपी के साथ कोई संबंध नहीं है। याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील विनोद कुमार और अन्य बनाम बिहार राज्य (2014) 10 एससीसी 663 के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर निर्भर करता है और (2014) 10 एससीसी 663 अनुछेद-18 में रिपोर्ट किया गया है, जिसमें से निम्नानुसार हैः-

"18. वर्तमान मामले में, शिकायत में लगाए गए आरोपों को देखते हुए, हम पाते हैं कि आईपीसी की धारा 405 के तत्वों को आकर्षित करने वाले कोई आरोप नहीं लगाए गए हैं। इसी तरह, शिकायतकर्ता को गलत तरीके से लाभ पहुँचाने या गलत तरीके से नुकसान पहुँचाने के लिए धन को बनाए रखने में धोखाधड़ी या अपीलार्थियों के बेईमान इरादे के बारे में कोई आरोप नहीं हैं। इन गंजे आरोपों को छोड़कर कि अपीलकर्ताओं ने दूसरे प्रतिवादी को भुगतान नहीं किया और अपीलकर्ताओं ने या तो स्वयं या किसी अन्य कार्य के लिए राशि का उपयोग किया, संपत्ति के दुरुपयोग में बेईमान इरादे के बारे में कोई आरोप नहीं है। आपराधिक विश्वासघात का मामला बनाने के लिए, यह दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं है कि अपीलार्थियों द्वारा धन रखा गया है। यह भी दिखाया जाना चाहिए कि अपीलकर्ताओं ने किसी तरह से इसका बेईमानी से निपटान किया या बेईमानी से इसे बनाए रखा। केवल यह तथ्य कि अपीलकर्ताओं ने शिकायतकर्ता को पैसे का भुगतान नहीं किया, आपराधिक विश्वासघात नहीं है।

और प्रस्तुत करता है कि गंजे आरोप को छोड़कर कि याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता को भुगतान नहीं किया, ऐसा कोई आरोप नहीं है कि याचिकाकर्ता ने सह-अभियुक्त को सौंपी गई संपत्ति का किसी तरह से बेईमानी से निपटान किया या उसे बेईमानी से बनाए रखा। इसलिए, याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के तहत दंडनीय अपराध नहीं बनाया गया है।

5. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान् वकील आगे भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर निर्भर करता है जो मदनगोपाल और अन्य बनाम के. ललिता ने (2022) एससीसी ऑनलाइन एससी 2030 में रिपोर्ट की जिसमें भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की है:-

"11. शिकायत भी गलत संयम के अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक घटक का खुलासा करने में विफल रहता है। धारा 341 के आवेदन को आकर्षित करने के लिए, जो गलत तरीके से रोकने के लिए सजा का प्रावधान करती है, यह साबित करना होगा कि आरोपी द्वारा बाधा डाली गई थी; (ii) इस तरह की बाधा किसी व्यक्ति को उस दिशा में आगे बढ़ने से रोकती है जिसके लिए उसे आगे बढ़ने का अधिकार था और (iii) आरोपी ने स्वेच्छा से ऐसी बाधा उत्पन्न की। अवरोधक को निरीक्षण करना चाहिए या जानना चाहिए या उसके पास यह विश्वास करने का कारण होना चाहिए कि अपनाए गए साधन शिकायतकर्ता के लिए बाधा पैदा करेंगे।"

6. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि ऐसा कोई आरोप नहीं है कि याचिकाकर्ता का इरादा था या वह जानता था या उसके पास यह विश्वास करने का कारण था कि अपनाए गए साधन शिकायतकर्ता के लिए बाधा पैदा करेंगे। इसलिए, इसके अभाव में, भारतीय दंड संहिता की धारा 341 के तहत दंडनीय अपराध नहीं बनाया जाता है।

7. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील अगला मामला हृदय रंजन प्रसाद वर्मा और अन्य बनाम बिहार राज्य (2000) 4 एससीसी 168 के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर निर्भर करता है, अनुछेद-15 में रिपोर्ट किया गया है, जिसमें से निम्नानुसार है:-

"15. प्रश्न का निर्धारण करते समय यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि केवल अनुबंध के उल्लंघन और धोखाधड़ी के अपराध के बीच का अंतर ठीक है। यह प्रलोभन के समय अभियुक्त के इरादे पर निर्भर करता है जिसे उसके बाद के आचरण से आंका जा सकता है, लेकिन इस बाद के आचरण के लिए एकमात्र परीक्षा नहीं है। केवल अनुबंध का उल्लंघन धोखाधड़ी के लिए आपराधिक अभियोजन को जन्म नहीं दे सकता है जब तक कि लेन-देन की शुरुआत में ही धोखाधड़ी या बेईमानी का इरादा नहीं दिखाया जाता है, यही वह समय है जब अपराध को किया गया कहा जाता है। इसलिए यह इरादा है जो अपराध का सार है। किसी व्यक्ति को धोखा देने

का दोषी ठहराने के लिए यह दिखाना आवश्यक है कि वादा करते समय उसकी धोखाधड़ी या बेईमानी की मंशा थी। बाद में वादे को पूरा करने में उनकी विफलता से शुरू में ही इस तरह के एक दोषी इरादे से, यानी जब उन्होंने वादा किया था, यह नहीं माना जा सकता है।"

और प्रस्तुत करता है कि यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि केवल विश्वास का उल्लंघन धोखाधड़ी के लिए आपराधिक अभियोजन को जन्म नहीं दे सकता है जब तक कि लेन-देन की शुरुआत में धोखाधड़ी या बेईमान इरादे को सही नहीं दिखाया जाता है और इस मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी आरोप नहीं है लेन-देन की शुरुआत में कोई बेईमान इरादा होना। इसलिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत दंडनीय अपराध याचिकाकर्ता के खिलाफ नहीं बनाया गया है और इस संबंध में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील उमा शंकर गोपालिका बनाम बिहार राज्य और (2005) 10 एससीसी 336 अनुछेद-6 में रिपोर्ट किए गए एक अन्य मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा करते हैं, जिसमें से निम्नानुसार हैः-

"6.Xxxxxxxxxxxxxxxxxx यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अनुबंध का प्रत्येक उल्लंघन धोखाधड़ी के अपराध को जन्म नहीं देगा और केवल उन मामलों में अनुबंध का उल्लंघन किया जाएगा जहां शुरुआत में ही कोई धोखा खेला गया था। यदि धोखा देने का इरादा बाद में विकसित हुआ है, तो यह धोखा नहीं हो सकता है।वर्तमान मामले में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि शुरुआत में ही आरोपी व्यक्ति की ओर से धोखा देने का कोई इरादा था, जो आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध के लिए एक शर्त है।

8. उनके इस कथन को पुष्ट करने के लिए कि न तो भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के अधीन दंडनीय अपराध और न ही भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अधीन दंडनीय अपराध याचिकाकर्ता के विरुद्ध बनाया गया है, याचिकाकर्ता के लिए विद्वान् परामर्श सतीशचंद्र रतनलाल शाह बनाम गुजरात राज्य के मामले में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करता है और एक अन्य मामले में (2019) 9 एससीसी 148 अनुछेद-11 और 13 में रिपोर्ट किया गया है, जिसमें से निम्नानुसार हैः-

"11. यहाँ लागू पृष्ठभूमि सिद्धांतों का अवलोकन करने के बाद, हमें अपीलार्थी के खिलाफ व्यक्तिगत आरोपों पर विचार करने की आवश्यकता है। भारतीय दंड सहिंता की धारा 405 को

406 के साथ पढ़ते हुए, हम देखते हैं कि विवाद पक्षों के बीच ऋण लेनदेन से उत्पन्न होता है। यह अभिलेख से आता है कि विपक्षी संख्या 2 ऋण देने से पहले अपीलार्थी और परिचर की परिस्थितियों को जानते थे। इसके अलावा यह एक स्वीकृत तथ्य है कि उपरोक्त राशि की वसूली के लिए, विपक्षी संख्या 2 ने एक संक्षिप्त दीवानी मुकदमा दायर किया था जो अभी भी निर्णय के लिए लंबित है। कानून स्पष्ट रूप से सरल भुगतान/धन के निवेश और धन या संपत्ति को सौंपने के बीच के अंतर को पहचानता है। केवल एक वादे, समझौते या अनुबंध का उल्लंघन, वास्तव में, आईपीसी की धारा 405 में निहित विश्वास के आपराधिक उल्लंघन का अपराध नहीं है।

13. अब भारतीय दंड सहिंता की धारा 420 के तहत दंडनीय धारा 415 के तहत आरोप पर आते हैं। अनुबंधों के संदर्भ में, केवल अनुबंध के उल्लंघन और धोखाधड़ी के बीच का अंतर धोखाधड़ी के प्रलोभन और पुरुष अधिकार पर निर्भर करेगा। (देखें हृदय रंजन प्रसाद वर्मा बनाम बिहार राज्य, (2000) 4 एससीसी 168) हमारे समक्ष मामले में, स्वीकार्य रूप से अपीलार्थी आर्थिक संकट में फंस गया था और इसलिए, उसने विपक्षी संख्या 2 संकट की स्थिति को सुधारना। इसके अलावा, उपर्युक्त राशि की वसूली के लिए, विपक्षी संख्या 2 ने ऋण राशि की वसूली के लिए एक संक्षिप्त दीवानी मुकदमा दायर किया था जो अभी भी निर्णय के लिए लंबित है। ऋण राशि को लौटाने में अपीलार्थी की मात्र असमर्थता धोखाधड़ी के लिए आपराधिक अभियोजन को जन्म नहीं दे सकती है जब तक कि लेन-देन की शुरुआत में धोखाधड़ी या बेईमानी का इरादा सही नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि यह पुरुष कारण है जो अपराध का मूल है। यहां तक कि अगर शिकायत और सामग्री में सभी तथ्यों को उनके अंकित मूल्य पर लिया जाता है, तो भी इस तरह का कोई बेईमान प्रतिनिधित्व या प्रलोभन नहीं पाया जा सकता है या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।“

9. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील परमजीत बत्रा बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य (2013) 11 एस. सी. सी. 673 में रिपोर्ट किए गए मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर निर्भर करता है और प्रस्तुत करता है कि नागरिक लेन-देन का खुलासा करने वाली शिकायत में आपराधिक बनावट हो सकती है, लेकिन उच्च न्यायालय को यह देखना चाहिए कि क्या कोई विवाद जो अनिवार्य रूप से नागरिक प्रकृति का है, उसे आपराधिक अपराध का आवरण दिया गया है और क्या ऐसा नागरिक उपचार उपलब्ध है और वास्तव में, जैसा कि उस

मामले में हुआ है, अपनाया गया है; उच्च न्यायालय को अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने में संकोच नहीं करना चाहिए।

10. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान् वकील अगला मामला महमूद अली और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर निर्भर करता है जो 2023 0 सुप्रीम (एससी) 691 में रिपोर्ट की और प्रस्तुत किया कि न्यायालय दंड प्रक्रिया सहिंता की धारा 482 या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए खुद को केवल एक मामले के चरण तक ही सीमित रखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मामले की शुरुआत/पंजीकरण के साथ-साथ जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री की ओर ले जाने वाली समग्र परिस्थितियों को ध्यान में रखने का अधिकार है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि दिनांक 30.05.2022 के आदेश सहित पूरी आपराधिक कार्यवाही इस संबंध में पारित की गई विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर द्वारा विरोध-सह-शिकायत मामले संख्या 241/2022 के साथ, जो अब विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर की अदालत में लंबित है, को रद्द कर दिया जाए और अलग कर दिया जाए।

11. विद्वान् अतिरिक्त लोक अभियोजक ने न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर द्वारा विरोध-सह-शिकायत मामले संख्या 241/202२ के संबंध में पारित 30.05.2022 के आदेश सहित पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के अनुरोध का जोरदार विरोध किया और प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ शिकायतकर्ता/सूचककी जेब से रूपये 12,000/- की चोरी का अपराध करने का प्रत्यक्ष और विशिष्ट आरोप है, इसके अलावा याचिकाकर्ता के खिलाफ सह-आरोपी व्यक्तियों के साथ स्वेच्छा से चोट पहुंचाने और शिकायतकर्ता को गलत तरीके से रोकने के लिए सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने का आरोप है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक धमकी का अपराध करने और शांति भंग करने के लिए जानबूझकर शिकायतकर्ता का अपमान करने का आरोप है। इसके विपक्षी संख्या 2 के लिए विद्वान् वकील ने यह प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रत्यक्ष और विशिष्ट आरोप है कि शिकायतकर्ता/सूचक को धोखाधड़ी के माध्यम से रूपये 1,60,000/- के साथ भाग लेने के लिए सह-अभियुक्त को भुगतान करके न्यायिक मजिस्ट्रेट से अनुकूल आदेश प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया है जो न्याय वितरण प्रणाली में हस्तक्षेप के बराबर है। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि शिकायतकर्ता ने सह-

अभियुक्त को रूपये 1,60,000/- का भुगतान किया है और शिकायतकर्ता को वापस नहीं किया गया है। इसलिए, हालांकि धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात का आरोप मूल रूप से सह-अभियुक्त के खिलाफ है, फिर भी याचिकाकर्ता को सहायक होने और सह-अभियुक्त द्वारा पीड़ित शिकायतकर्ता को प्रभावित करने के लिए सौंपी गई भूमिकाओं को देखते हुए, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 की सहायता से अपराध याचिकाकर्ता के खिलाफ बनाया गया है भारतीय दंड संहिता की धारा 420/406 के अधीन दंडनीय अपराध। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह आपराधिक विविध याचिका, बिना किसी योग्यता के, खारिज कर दिया जाए।

12. बार में की गई प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को सुनने के बाद और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को ध्यान से देखने के बाद, इस न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ सूचना देने वाले से रूपये 12,000/- की चोरी करने और स्वेच्छा से उसे चोट पहुंचाने और उसे गलत तरीके से रोकने का प्रत्यक्ष और विशिष्ट आरोप है।

13. जहां तक एन.एस. मदनगोपाल और एक अन्य बनाम के. ललिता (उपर्युक्त) का संबंध है, के मामले में याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा निर्णय पर भरोसा किया गया है। उस मामले के तथ्यों में, भूमि मालिक और प्रतिभूति और श्रमिकों ने उस मामले के पीड़ितों को उनके परिसरों में प्रवेश करने से मना कर दिया था, लेकिन इस मामले में, तथ्य पूरी तरह से अलग है। यहाँ, आरोप यह है कि शिकायतकर्ता को याचिकाकर्ता के घर में गलत तरीके से रोक दिया गया था और उसे बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई थी और उसे आपराधिक रूप से डराने के अलावा स्वेच्छा से और चोट पहुंचाई गई थी। इसलिए,एन.एस. मदनगोपाल और एक अन्य बनाम के. ललिता (उपर्युक्त) का अनुपात इस न्यायालय की सुविचारित राय में इस मामले के तथ्यों में लागू नहीं है।

14. जहाँ तक महमूद अली और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (उपर्युक्त) के मामलों में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का संबंध है और आगे की बात है कि परमजीत बत्रा बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य (उपर्युक्त) के फैसले का संबंध है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे कानून के तय किए गए सिद्धांत हैं, लेकिन उन मामलों के तथ्य इस मामले के तथ्यों से अलग हैं क्योंकि इस मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ शिकायतकर्ता/सूचकसे रूपये 12,000/- की चोरी करने का प्रत्यक्ष और विशिष्ट आरोप है। उस मामले के लिए शिकायतकर्ता/सूचक को

कभी नहीं देखा है, निश्चित रूप से वही है एक बचाव जिसे याचिकाकर्ता मामले के मुकदमे के दौरान ले सकता है, लेकिन एक मिनी ट्रायल आयोजित करके और दंड प्रक्रिया सहिंता की धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए एक निष्कर्ष पर पहुंचने से पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।

15. जहां तक विनोद कुमार और अन्य बनाम बिहार राज्य और एक अन्य (उपर्युक्त) हृदय रंजन प्रसाद वर्मा और अन्य बनाम बिहार राज्य और एक अन्य (उपर्युक्त) सतीशचंद्र रतनलाल शाह बनाम गुजरात राज्य और एक अन्य और उमा शंकर गोपालिका बनाम बिहार राज्य और एक अन्य (उपर्युक्त) के मामलों में याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा दिए गए निर्णय का संबंध है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जहां तक भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 420 के तहत दंडनीय अपराध का संबंध है, वे कानून के स्थापित सिद्धांत हैं। इस मामले में, याचिकाकर्ता के खिलाफ धोखाधड़ी के माध्यम से पीड़ित को प्रेरित करने और उसे सह-अभियुक्त व्यक्ति को रूपये 1,60,000/- का भुगतान करने के लिए निर्देशित किया गया है और भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 420 के तहत अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है, सह-अभियुक्त पंकज कुमार अग्रवाल के खिलाफ है और याचिकाकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अनुसार इस मामले में रखा गया है; सह-अभियुक्त व्यक्ति के साथ समान इरादे को आगे बढ़ाने के लिए, जिसने भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 420 के तहत दंडनीय अपराध किए हैं।

16. यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि उच्च न्यायालय दंड प्रक्रिया सहिंता की धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है। (2008) 8 एस.सी.सी. 781 में अभिलिखित मोनिका कुमार (डॉ.) और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित वैध अभियोजन को दबाया नहीं जाना चाहिए।

17. इस अभिलेख की विषय-वस्तु को ध्यानपूर्वक देखने के बाद, यह न्यायालय यह पता लगाता है कि अभिलेख में प्रथम दृष्टया ऐसी सामग्री है; जिसे यदि इसके संदर्भ में सत्य माना जाए तो सम्पूर्ण रूप से, जिन अपराधों के लिए विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया गया है, याचिकाकर्ता के खिलाफ बनाया गया है। इसलिए, इस न्यायालय की सुविचारित राय में, यह एक उपयुक्त मामला नहीं है जहां विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर द्वारा विरोध-

सह-शिकायत मामले संख्या 241/2022 के संबंध में पारित दिनांक 30.05.2022 के आदेश सहित पूरी आपराधिक कार्यवाही, जो अब विद्वान्  न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर की अदालत में लंबित है, को रद्द कर दिया जाए और अलग कर दिया जाए।

18. तदनुसार, विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर द्वारा के विरोध-सह-शिकायत मामला संख्या 241/2022 के संबंध में पारित आदेश दिनांक 30.05.2022 सहित पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने और अलग करने की प्रार्थना, जो अब विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर की अदालत में लंबित है, को खारिज कर दिया गया है और इसके परिणामस्वरूप यह आपराधिक विविध याचिका बिना किसी योग्यता के, खारिज कर दिया गया है।

19. तत्काल आपराधिक विविध याचिका के निपटान को देखते हुए, याचिकाकर्ताओं को दी गई अंतरिम राहत दिनांक 22.08.2022 के आदेश के अनुसार खाली है।

20. रजिस्ट्री सम्बंधित न्यायालय को अविलम्ब सूचित करे।

निर्णय की तिथि: 04/12/2023 (न्यायमूर्ति, अनिल कुमार चौधरी)

यह अनुवाद पैनल अनुवादक मदन मोहन प्रिय द्वारा किया गया है।